तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र रेफरेंस/टीए/5525/2006/बीकानेर सरकार बनाम मु0 रामी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-7-2023	एकल–पीठ डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य उपस्थितः श्री एन.के. गोयल अधिवक्ता अप्रार्थीगण। –––– **<u>आदेश</u>** विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दिनांक 19–6–2023 बाबत विड्रो किये जाने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. पर सुना गया। 2– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बताया कि राजस्व मण्डल की एकलपीठ ने रेफरेंस/टी.ए./3199/2005/बीकानेर राजस्थान सरकार बनाम रामी वगैरह दिनांक 07–03–2016 को स्वीकार किया जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–8–1991 को निरस्त किया गया एवं विवादित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। चूंकि उक्त रेफरेंस एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णित किया गया था, अतः अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया था कि रेफरेंस प्रकरण में एकपक्षीय आदेश दिनांक 07–03–2006 को निरस्त फरमाया जाकर दोनों पक्षकारों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। परन्तु इस प्रकरण में चूंकि दोनों पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है, अतः वे प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को विड्रो कराना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र विड्रो कर खारिज किया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र रेफरेंस/टीए/5525/2006/बीकानेर सरकार बनाम मु0 रामी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3– हमनें प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेजात का एवं मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–03–2006 का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–3–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र–रेफरेंस को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र विड्रो कर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। 4– अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 19–6–23 बाबत विड्रो किये जाने प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. को विड्रो कर खारिज किया जाता है। साथ ही यह उल्लेखित है कि चूंकि प्रकरण में पूर्व में रेफरेंस में मण्डल की एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 07–03–2016 पारित किया गया है, तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया तथा अप्रार्थी द्वारा ही उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रो कराया गया है अतः धारा 11 सीपीसी रेसज्यूडीकेटा के प्रावधान से अप्रार्थीगण बाधित रहेंगे। 5– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे तथा आदेश की प्रति के साथ इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखगार में भेजी जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	